यूरोपियन कमीशन समर्थित कार्यक्रम हेतु परियोजनाएँ

1.2.3.3 शोध यात्रा

शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को अकादमिक ऑथॉरिटी की दर्जा दिया गया है। इस आधार पर शालाओं में गुणवत्ता प्राप्ति हेतु परिषद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। जिले स्तर पर परिषद की ओर से यह भूमिका हमारे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों पर है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को शालाओं से नजदीकी से जोडने, शालाओं में क्या कुछ चल रहा है, शालाओं में किन चीजों, किन सुधार प्रक्रियाओं की आवश्यकता है, के जानकारी लेने हेतु इन संस्थानों में अध्ययनरत डी.एड. प्रशिक्षार्थियों के साथ साथ यहाँ आने वाले सेवाकालीन शिक्षकों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से जानकारी लेने का कल्चर विकसित किया जा सकता है। इन प्रशिक्षण संस्थाओं में ऐसा कल्चर विकसित करने के उद्देश्य से यह प्रायोजना प्रारंभ की जा रही है और इसे नियमित रूप से आगे बढाने की जिम्मेदारी डाइट की होगी।

प्रक्रिया:

इस प्रायोजना में डाइट में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी एवं समय समय पर प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होने वाले शिक्षक सहभागिता करेंगे। आपके संस्थान के विद्यार्थी अवकाश के दौरान अपने गृह ग्राम जाते होंगे या उन्हें शाला अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ शालाओं में नियमित रूप से लंबे समय के लिए जाना पडता होगा ।

विभिन्न विकासखण्डों से डाइट में प्रशिक्षण हेतु शिक्षक आते रहते हैं। इन्हें आदेशित करते समय या जब वे प्रशिक्षण ले रहे हों, तब उनके माध्यम से भी शालाओं के बारे में जानकारी ली जा सकती है।

पूरे सत्र में आपको अलग अलग मुद्दे उपलब्ध करवाए जाएंगे। डाइट भी अपने स्तर पर मुद्दे तैयार कर एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इस पूरे मुहिम में पोस्टकार्ड का उपयोग भी कियी जा सकता है। प्रत्येक भ्रमण के लिए अलग अलग टेम्पलेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। डाइट को इन टेम्पलेट के आधार पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के माध्यम से शालाओं से जानकारी एकत्रित करनी होगी। इस प्रकार प्राप्त जानकारी को कम्प्यूटर में एंट्री करनी होगी और जिले स्तर पर जानकारी का विश्लेषण करना होगा। इस आधार पर डाइट से प्रभारी को एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। रिपोर्ट के साथ एक फाइल में सभी शालाओं की भरी हुई शीट संभाल कर रखनी होगी। प्रत्येक मुद्दे पर कम से कम 100 शालाओं की जानकारी एकत्रित रखनी होगी।

बजट:

इस कार्यक्रम के लिए एक मुद्दे पर कार्य करने हेतु डाइट के एक या दो अकादमिक सदस्य मिलकर जिम्मेदार होंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से 100 स्कूलों से जानकारी एकत्र करने हेतु स्टेशनरी, डाइट के कम्प्यूटर में जानकारियों की प्रविष्टि, रिपोर्ट लेखन एवं एक फाइल जिसमें 100 शालाओं की शीट रखी जा सके जैसे कार्यों पर ही व्यय आना है। इस कार्य

हेतु एक रिपोर्ट तैयार करने हेतु अकादमिक सदस्य को 2000 रुपए स्वीकृत किए जाएँ। कार्य प्रारंभ करते समय रुपए 1000 अग्रिम तथा संतोषप्रद रिपोर्ट जमा करने पर शेष 1000 रुपए जारी किए जाएँ। जिले स्तर पर कम्पाइल्ड शीट एस.सी.ई.आर.टी. को भेजी जाए ताकि राज्य स्तर के लिए रिपोर्ट तैयार की जा सके।

रिपोर्ट:

चयनित मुद्दे पर एक एक शीट एक एक विद्यालय के लिए देते हुए संकलनकर्ता डाइट विद्यार्थियों को प्रत्येक प्रश्न पर चर्चा करवाते हुए स्पष्टता लाए। सभी से दशहरा अवकाश से वापस आने पर निर्धारित प्रारूप से संकलित जानकारी को एकत्रित कर एक फाइल बनाएँ। इस फाइल को आपको उपलब्ध एक्सेल के टेम्पलेट में किसी तकनीकी विशेषज्ञ से प्रविष्टि करवाते हुए विश्लेषण करें। इस विश्लेषण एवं संकलनकर्ता विद्यार्थियों से चर्चा कर आप अपनी ओर से इस पूरे कार्य की एक रिपोर्ट तैयार करें। चूँकि इन शालाओं में आपको अब बार बार इन विद्यार्थियों को भेजना होगा, आप इन शालाओं की प्रोफाइल तैयार कर लेवें। अगली जानकारी आपको दीपावली अवकाश के दौरान लेनी होगी। इसी प्रकार शाला अवधि के दौरान शिक्षकों से भी इन मुद्दों पर उनके विचार लेने होंगे जिसे आप बच्चों के विचारों से तुलना कर सकते हैं। इन शालाओं एवं ग्रामों से समुदाय के सक्रिय सदस्यों एवं शिक्षकों के मोबाइल नंबर आदि भी एकत्रित कर प्रोफाइल में रखें। इनमें से कुछ को समय समय पर डाइट से संपर्क कर सीधे जानकारी प्राप्त करने एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य किया जा सकता है।

शालाओं/ ग्राम का प्रोफाइल इस प्रकार से तैयार किया जा सकता है :

#	विद्यालय का नाम	स्तर PS/ UPS	पता	डाइस कोड	संपर्क व्यक्तियों के नाम	उनके मोबाइल नं	संस्था से जिम्मेदार विद्यार्थी का नाम

(प्रत्येक संस्था प्रत्येक मुद्दे पर कम से कम 100 शालाओं से जानकारी एकत्र करेंगे)

दशहरा अवकाश के दौरान संकलन हेतु प्रथम मुद्दा:-
बच्चों से चर्चा कर शाला संबंधी जानकारियों का संकलन

शाला का नाम:	प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक:	डाइस कोड:
संकुल:	विकासखण्ड:	जिला:

1. क्या शिक्षक रोज आते हैं?
2. यदि हाँ, तो क्या वे समय पर आते हैं?
3. क्या टाइम टेबल के अनुसार रोज पढाई होती है?
4. क्या प्राथमिक स्तर पर एम.जी.एम.एल. एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न गतिविधियों से पढाई होती है ?
5. क्या रेडियो से नियमित पढाई होती है ?
6. क्या शिक्षक नियमित रूप से विभिन्न सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं?
7. क्या शिक्षक बच्चों को डाँटते/ मारते हैं ?
8. क्या पुस्तकालय का नियमित उपयोग होता है ?
9. क्या प्रथम कालखण्ड में योग/ नैतिक शिक्षा/ महापुरुषों की जीवनी आदि के बारे में चर्चा होती है ?
10. क्या बच्चों व्दारा किए गए कार्यों की नियमित जाँच की जाती है? (कुछ कापियाँ देखें)

कोई विशेष जानकारी जो चर्चा से सामने आई:

उपरोक्त प्रश्नावली की एक एक प्रति एक एक स्कूल के लिए देते हुए पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर लाने को निर्देशित करें। डी.एड. के विद्यार्थियों को इस बाबत प्रत्येक प्रश्न को पूछने के तरीकों और उत्तर निकालने हेतु आवश्यक माहौल तैयार करने के संबंध में टीप देवें। इस मुद्दे पर आपको अपनी संस्था के लिए कम से कम 100 अलग अलग विद्यालयों से जानकारी एकत्रित करनी होगी।

दशहरा अवकाश के दौरान संकलन हेतु द्वितीय मुद्दा:-
समुदाय से चर्चा कर शाला संबंधी जानकारियों का संकलन

शाला का नाम: प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक: ग्राम:
संकुल: विकासखण्ड: जिला:

1. क्या आपके गाँव में पदस्थ शिक्षक रोज आते हैं?
2. यदि हाँ, तो क्या वे समय पर आते हैं?
3. कुल शिक्षकों में से कितने गाँव में ही रहते हैं ? /
4. क्या आपके गाँव के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं ?
5. क्या प्राथमिक शाला में रेडियो से नियमित पढाई होती है ?
6. मध्याह्न भोजन की व्यवस्था एवं गुणवत्ता कैसी है ? ठीक/ अच्छी/ बेकार/ नहीं मिलता
7. क्या शिक्षक बच्चों को डाँटते/ मारते हैं ?
8. क्या शाला प्रबंधन विकास समिति का गठन हुआ है ?
9. क्या नियमित रूप से इन समितियों की बैठक होती है ?
10. क्या बच्चों व्दारा स्कूल में सीखने की प्रगति से आप संतुष्ट हैं ?

कोई विशेष जानकारी जो चर्चा से सामने आई:

डाइट के विद्यार्थी अथवा सेवाकालीन शिक्षक अपने अपने गाँव में लगभग 20-25 लोगों को एक साथ चौपाल या ऐसे स्थल पर जहाँ आसानी से चर्चा की जा सके, वहाँ खुली चर्चा हेतु माहौल तैयार कर उपरोक्त सवाल रखें और सामूहिक चर्चा कर उपयुक्त उत्तरों को अंकित करें। चर्चा के दौरान ऐसे सदस्य जिनकी रुचि दिखाई दे उनके मोबाइल या संपर्क नंबर ले लेवें। उन्हें शाला में बच्चों एवं शिक्षकों की नियमित उपस्थिति, बेहतर पढाई, शासकीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सक्रिय सहभागिता लेने एवं समय समय पर संपर्क कर वास्तविक स्थिति एवं समस्याओं से अवगत करवाने की जिम्मेदारी लेने हेतु प्रोत्साहित करें।

1.3.2.8 शिक्षा के अधिकार से जुडे विभिन्न मुद्दों पर आधारित विभिन्न परियोजनाएँ (प्रत्येक डाइट हेतु एक लाख रुपए)

1. **शालाओं में सक्रिय पुस्तकालयों का गठन:**
   गत वर्षों में शालाओं में विभिन्न कार्यक्रमों की ओर से पुस्तकालयों का गठन करते हुए बडी संख्या में पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई हैं। इन पुस्तकों के उपयोग हेतु आपको चयनित शालाओं में बहुत समीप से कार्य करते हुए आपके मंशानुरूप योजना के अलावा निम्नलिखित प्रावधान करने होंगे:
   1.1 इस परियोजना हेतु 50 ऐसी उच्च प्राथमिक शालाओं का चयन जहाँ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पुस्तकें प्रदाय की गई हैं।
   1.2 पुस्तकालय के उपयोग की वर्तमान स्थिति का मय सबूत अध्ययन जिसमें पुस्तकों की संख्या, प्रतिदिन पुस्तकों के उपयोग की संख्या, पुस्तकालय कालखण्ड का विवरण, बच्चों व्दारा अध्ययन किए गए पुस्तकों पर किए जाने वाले कार्य, क्रय किए गए पुस्तकों का बच्चों के अनुरूप स्तर आदि आदि।
   1.3 पुस्तकालय के बेहतर उपयोग हेतु शिक्षकों का उन्मुखीकरण, सुझाव, बच्चों के लिए पुस्तकों का डिस्प्ले, अलमारी एवं पुस्तकों की सुरक्षा हेतु जिल्दसाजी एवं अन्य आवश्यक उपाय करने हेतु विभिन्न उपलब्ध मदों का उपयोग
   1.4 शालाओं में उपलब्ध अनुदान से कुछ रोचक एवं उपयोगी प्रकाशन से मासिक पत्र-पत्रिकाओं के लिए वार्षिक चंदा भिजवाए जाने की व्यवस्था करने हेतु प्रोत्साहन
   1.5 शालाओं में बच्चों को वितरित किए जाने वाले बचपन/ बालमित्र पत्रिकाओं के अध्ययन के लिए व्यवस्थाएँ
   1.6 इन शालाओं में पुस्तकालय कालखण्ड की व्यवस्था एवं पुस्तकों के आधार पर चर्चा एंव गतिविधियों का आयोजन करने की परंपरा प्रारंभ करना
   1.7 शिक्षकों के साथ किसी शाला में बैठकर शाला को वितरित विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन कर ऐसी सूची तैयार करवाना जिसमें विभिन्न पाठों को पढाने में सहयोग देने वाले पुस्तकों की सूची तैयार कर वितरित करने की व्यवस्था करें। इस प्रक्रिया से आपको विभिन्न विषयों एवं विभिन्न कक्षाओं हेतु पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची मिल सकेगी।
   1.8 परियोजना अवधि में शालाओं के लिए विभिन्न दिशानिर्देश एवं पत्र व्यवहार करें जिनका उल्लेख रिपोर्ट में भी हो।
   1.9 अवकाश के दौरान पुस्तकों को बच्चों को घर पर पढने ले जाने की व्यवस्था की जाए।

1.10 पूरे परियोजना के दौरान हुए अनुभव की विस्तृत रिपोर्ट एवं इन अनुभवों के आधार पर अपने जिले के अन्य शालाओं में भी पुस्तकालयों के बेहतर संचालन हेतु कार्यवाहियाँ करें।

कार्यक्रम से अपेक्षाएँ: इस कार्यक्रम के माध्यम से शालाओं में उपलब्ध संसाधन के बेहतर उपयोग, पुस्तकालय हेतु मासिक पत्र-पत्रिकाओं का चंदा दिलवाया जाना, पुस्तकालयों के सक्रिय उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा।

बजट: एक शाला रुपए 200/- के मान से कुल 50 शालाओं हेतु रुपए 10,000/- का प्रावधान किया जाता है। इस राशि से इस परियोजना प्रभारी के साथ साथ परियोजना में शामिल शालाओं से 5 कुशल स्त्रोत शिक्षक जो विभिन्न शालाओं में भ्रमण कर पुस्तकालय की स्थिति सुधारने में डाइट को सहयोग देते हुए सतत रिपोर्टिंग कर सकें, के लिए यात्रा व्यय एवं मानदेय आदि का भुगतान किए जाने की व्यवस्था करें।

भावी कार्यक्रम: डाइट को प्राप्त इस अनुभव के आधार पर संकुलों के माध्यम से सभी शालाओं के पुस्तकालयों को सक्रिय किए जाने की दिशा में कार्य किया जा सकेगा। लाभान्वित शालाओं को अन्य जिलों की टीम व्दारा अवलोकन करने की व्यवस्था की जाएगी।

मॉनिटरिंग़ इंडिकेटर्स: शालाओं की सूची एवं प्रारंभिक स्थिति पर टीप/ मासिक पत्र-पत्रिकाओं का सबस्क्रिप्शन/ कक्षावार एवं विषयवार पुस्तकों की मैंपिंग/ इस परियोजना के संबंध में जारी विभिन्न पत्र एवं मॉनिटरिंग रिपोर्ट/ बच्चों व्दारा पुस्तक चर्चा एवं अन्य गतिविधियाँ।

2. पंचायतों में सक्रिय शाला प्रबंधन समितियों का गठन:

शिक्षा के अधिकार में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर सभी शालाओं हेतु एक सक्रिय शाला प्रबंधन समिति का गठन होना है और इनके माध्यम से बहुत से कार्य करवाए जाने हैं। आप इस हेतु अपनी योजना क्रियान्वयन करने के साथ साथ इन बिन्दुओं पर भी ध्यान देंगे:

2.1 इस परियोजना हेतु 50 शालाओं का चयन। बेहतर होगा कि आप विभिन्न परियोजनाओं हेतु उन्हीं 50 शालाओं को चुने ताकि एक साथ सभी पर विकास, सुधार एवं नजर रखी जा सके।

2.2 निर्धारित संख्या में सक्रिय सदस्यों का चयन एवं उनको उनकी अपेक्षित भूमिका से परिचय करवाना।

2.3 इन समितियों के माध्यम से शालाओं के लिए शाला विकास योजना का निर्माण।

2.4 समिति से सदस्यों का शाला सुधार हेतु सक्रिय सहयोग।

कार्यक्रम से अपेक्षाएँ: इस कार्यक्रम के माध्यम से शालाओं में सक्रिय शाला प्रबंधन समिति का गठन कर उनके माध्यम से शाला सुधार हेतु विभिन्न उपाय किए जाएंगे।

बजट: एक शाला रुपए 200/- के मान से कुल 50 शालाओं हेतु रुपए 10,000/- का प्रावधान किया जाता है। इस राशि से इस परियोजना प्रभारी के साथ साथ परियोजना में शामिल शालाओं से 5 कुशल स्त्रोत शिक्षक/ समुदाय के सक्रिय सदस्य जो विभिन्न शालाओं में भ्रमण कर एवं समुदाय से चर्चा कर प्रबंधन समिति की भूमिका सुधारने में डाइट को सहयोग देते हुए सतत रिपोर्टिंग कर सकें, के लिए यात्रा व्यय एवं मानदेय आदि का भुगतान किए जाने की व्यवस्था करें।

भावी कार्यक्रम: डाइट को प्राप्त इस अनुभव के आधार पर संकुलों के माध्यम से सभी शालाओं में शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों के अनुसार शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों का गठन किया जा सकेगा।

मॉनिटरिंग़ इंडिकेटर्स: शालाओं में प्रबंधन समिति के सदस्यों की सूची, प्रबंधन समिति के कार्यों –अपेक्षाओं के आधार पर उन्मुखीकरण हेतु प्रशिक्षण सामग्री, कुछ सफलता की कहानियाँ।

3. प्रथम कालखण्ड के लिए निर्धारित विषयों का अध्यापन:

राज्य शासन व्दारा शालाओं में प्रथम कालखण्ड में अध्ययन-अध्यापन हेतु कुछ विशिष्ट विषयों के अध्यापन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के सही तरीके से परिपालन करवाने के उद्देश्य से इस परियोजना को लिया जाएगा। इसे डाइट के सभी संबंधित प्रभारी जैसे योग, जीवन विद्या के व्याख्याता निर्धारित 50 शालाओं में उन्मुखीकरण, नियमित दौरा और समय समय पर दिशानिर्देश एवं सुधार के लिए प्रयास करेंगे।

कार्यक्रम से अपेक्षाएँ: इस कार्यक्रम के माध्यम से शासन के दिशानिर्देश का चयनित शालाओं में बेहतर ढंग से क्रियान्वयन कर सकेंगे। शालाओं की सतत मॉनिटरिंग हेतु सरल, सुगम एवं प्रभावी सिस्टम तैयार कर सकेंगे।

बजट: एक शाला रुपए 100/- के मान से कुल 50 शालाओं हेतु रुपए 5,000/- का प्रावधान किया जाता है। इस राशि से इस परियोजना प्रभारी के साथ साथ परियोजना में शामिल शालाओं से 5 कुशल स्त्रोत शिक्षक जो विभिन्न शालाओं में भ्रमण कर पुस्तकालय की स्थिति सुधारने में डाइट को सहयोग देते हुए सतत रिपोर्टिंग कर सकें, के लिए यात्रा व्यय एवं मानदेय आदि का भुगतान किए जाने की व्यवस्था करें।

भावी कार्यक्रम: डाइट को प्राप्त इस अनुभव के आधार पर संकुलों के माध्यम से सभी शालाओं में प्रथम कालखण्ड में निर्धारित सामग्री को बेहतर ढंग से पढाए जाने की व्यवस्था की जा सकेगी।

मॉनिटरिंग़ इंडिकेटर्स: शालाओं में प्रबंधन समिति के सदस्यों की सूची, प्रबंधन समिति के कार्यों –अपेक्षाओं के आधार पर उन्मुखीकरण हेतु प्रशिक्षण सामग्री, कुछ सफलता की कहानियाँ।

4. **शालाओं/ छात्रावासों में विकलांग बच्चों को प्रवेश दिलाकर सहभागिता:**
शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सभी विकलांग बच्चों को नियमित शालाओं में समेकित शिक्षा दिलवाए जाने की व्यवस्था की जानी है। इस हेतु आप अपने स्तर पर स्थानीय रूप से योजना बनाने के साथ साथ निम्न बिन्दुओं पर भी ध्यान देंगे:

4.1 जिले में विभिन्न प्रशिक्षणों में उपस्थित हो रहे शिक्षकों/ डाइट के विद्यार्थियों के माध्यम से उनके आसपास ऐसे बच्चों की जानकारी एकत्र करें जो विकलांग हैं और शाला नहीं जा पा रहे हैं।

4.2 जिला परियोजना कार्यालय, समाज कल्याण विभाग एवं अन्य संबंधित संस्थाओं के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनकी सहायता लेकर ऐसे बच्चों को लाभ पहुँचाने की व्यवस्था करना।

4.3 जिले के विभिन्न छात्रावासों में रिक्त सीटों की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना और ऐसे सीटों के लिए इन बच्चों के प्रवेश हेतु पहल करना।

4.4 विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान इस परियोजना के प्रभारी को अलग से कुछ समय देकर शिक्षकों को इस मुद्दे पर संवेदनशील बनाना।

4.5 विभिन्न शिक्षा अधिकारियों को इस कार्य से जोडने हेतु बैठक एवं नियमित मिलते हुए अपने जिले में योजना का व्यापक प्रचार प्रसार।

4.6 ऐसे बच्चों के लिए उपलब्ध योजनाओं एवं उपकरणों के बेहतर उपयोग हेतु कार्यनीतियाँ तैयार कर लागू करवाना।

4.7 जिले में उपलब्ध विभिन्न स्त्रोत संसाधनों जैसे मोबाइल रिसोर्स शिक्षकों, प्रशिक्षित शिक्षकों आदि की जानकारी एकत्रित कर इनका बेहतर उपयोग।

कार्यक्रम से अपेक्षाएँ: इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले में शाला से बाहर के विकलांग बच्चों को समेकित शिक्षा सुविधा दिलवाने एक माहौल तैयार कर इनका विभिन्न शालाओं, छात्रावासों में प्रवेश दिलवाए जाने की व्यवस्था की जानी होगी । विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्यवयन, उनका लाभ वास्तविक हितग्राहियों को पहुँचाने, उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में यह परियोजना कार्यान्वित हो सकेगा। कम से कम 50 ऐसे बच्चों को प्रवेश दिलवाते हुए उनका प्रोफाइल तैयार कर उनके सतत शिक्षण की मॉनिटरिंग की जानी होगी।

बजट: इस परियोजना हेतु कुल रुपए 10,000/- का प्रावधान किया जाता है। इस राशि से इस परियोजना प्रभारी के साथ साथ परियोजना में शामिल विभिन्न कुशल प्रशिक्षित स्त्रोत व्यक्तियों का मानदेय, बच्चों को प्रवेश दिलवाने हेतु किए गए यात्रा व्यय एवं विभिन्न विभागों, सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर योजनाओं के लाभ, बच्चों को प्रवेश दिलवाने वालों को प्रोत्साहित करने, प्रचार-प्रसार आदि मामलों में व्यय किया जा सकता है। कम से कम 50 बच्चों का प्रवेश इस योजना के तहत किया जाना होगा।

भावी कार्यक्रम: डाइट को प्राप्त इस अनुभव के आधार पर आगामी वर्षों में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में डाइट महती भूमिका निभा सकेगा।

मॉनिटरिंग़ इंडिकेटर्स: डाइट के प्रयास से ऐसे बच्चों के समेकित शिक्षा के लिए वातावरण निर्माण, अधिकारियों का सेंसिटाइज़ेशन, लगभग 50 ऐसे बच्चों को विभिन्न विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रवेश, उपलब्ध सामग्री, संसाधनों का बेहतर उपयोग ।

5. **विज्ञान प्रयोगों एवं विज्ञान में रुचि पैदा करने हेतु मोबाइल विज्ञान स्त्रोत समूहों का गठन:**

गत वर्ष राज्य में पहली बार इंस्पायर नामक कार्यक्रम में सहभागिता की गई। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि बढाने का प्रयास किया गया। वर्तमान में हमारे विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों में बहुत से प्रयोग दिए गए हैं परंतु उन्हें प्रायः कक्षाओं में नहीं करवाया जाता। विज्ञान विषय में शिक्षकों एवं बच्चों की रुचि में विकास हेतु आपके अपनी योजना के साथ साथ निम्नलिखित कार्यों को अपने जिले में संपन्न करवाएँ:

5.1 जिले में विकासखण्ड एवं संकुल समन्वयकों के माध्यम से 25 से 30 ऐसे विज्ञान शिक्षकों की पहचान करें जिन्हें विज्ञान के प्रयोगों में रुचि है और उन्हें विभिन्न प्रयोगों को करने एवं प्रदर्शित करने में रुचि एवं संसाधन उपलब्ध हैं।

5.2 इन शिक्षकों को डाइट में पाँच दिनों के लिए मय सामग्री आमंत्रित करें और कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक के लिए दो समूह तैयार कर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के पाठ्यपुस्तकों के आधार पर प्रयोगों की सूची एवं किट तैयार करें।

5.3 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अलग अलग स्त्रोत समूह तैयार करें और सभी समूह के लिए एक एक किट तैयार कर उपलब्ध करवाएँ।

5.4 विभिन्न विकासखण्डों/ संकुलों में शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान इन स्त्रोत दल के माध्यम से विज्ञान के विभिन्न प्रयोग एवं रुचि विकसित करने हेतु किट का प्रदर्शन करने का अवसर देवें।

5.5 इन किट का उपयोग बच्चों के साथ भी करने हेतु के.जी.बी.व्ही. एवं छात्रावासों में बच्चों के साथ इन किट का उपयोग करें।

5.6 शालाओं को उपलब्ध करवाए गए विज्ञान किट के उपयोग हेतु प्रशिक्षित करने एवं उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने आवश्यक कार्यवाही करें।

5.7 इन स्त्रोत दल को बच्चों को इंस्पायर अवार्ड के लिए तैयार एवं प्रोत्साहित करने हेतु समय समय पर विभिन्न उत्तरदायित्व सौंपे।

5.8 पूरे परियोजना के दौरान हुए अनुभव की विस्तृत रिपोर्ट एवं इन अनुभवों के आधार पर अपने जिले में अधिक से अधिक संख्या में शिक्षकों को अपने अपने कक्षाओं में विज्ञान के प्रयोगों को करके दिखाने हेतु माहौल तैयार करें।

कार्यक्रम से अपेक्षाएँ: इस कार्यक्रम के माध्यम से शालाओं में विज्ञान के प्रयोग करने, अधिक से अधिक नवाचारी प्रयोग एवं मॉडल तैयार करने हेतु

प्रोत्साहन, इंस्पायर अवार्ड हेतु नवाचारी सुझाव और अधिक से अधिक सहभागिता ले सकेंगे।

बजट: इस कार्यक्रम हेतु कुल रुपए 30,000/- का प्रावधान किया जाता है। इस राशि से कुशल विज्ञान शिक्षकों के साथ किट निर्माण हेतु कार्यशाला का आयोजन, किट निर्माण हेतु सामग्री, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अलग अलग दलों का गठन, शासकीय नियमानुसार उनके मानदेय की व्यवस्था एवं यात्रा देयकों की व्यवस्था की जाए। यात्रा देयकों एवं मानदेय के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर अन्य कार्यक्रमों जैसे शिक्षक प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग मद आदि से व्यवस्था कर इस कार्यक्रम को आगे बढाएँ।

भावी कार्यक्रम: डाइट को प्राप्त इस अनुभव के आधार पर राज्य स्तर पर एजुसेट के माध्यम से नियमित रूप से ऐसे स्त्रोत दलों को अपने अपने किट के प्रदर्शन का मौका दिया जाएगा। नवीन प्रयोगों, विचारों को शेयर करने हेतु विभिन्न प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे। बचपन-बालमित्र में सरल विज्ञान के प्रयोगों को शेयर किया जाएगा।

मॉनिटरिंग़ इंडिकेटर्स: विज्ञान के लिए इस प्रकार तैयार विभिन्न स्त्रोत दलों की संख्या/ तैयार किट की क्वालिटी / किट के साथ विभिन्न क्षेत्रों में दलों के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन/ अधिक से अधिक शालाओं में विज्ञान शिक्षण को रोचक बनाने हेतु की जा रही कार्यवाहियाँ एवं इंस्पायर अवार्ड हेतु अधिक से अधिक नवाचारी नामांकन।

6. संकुल स्तर की बैठकों में अकादमिक इनपुट्स हेतु प्रावधान:

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 20 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण में से 10 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण संकुल स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इन बैठकों में मुख्यतः एक संकुल के विभिन्न शिक्षक अलग अलग समूहों में आकर आपसी चर्चा, जानकारियों का आदान-प्रदान आदि किया करते हैं। इन बैठकों को नवाचारी ढंग से आयोजित करते हुए प्रभावी बनाने के आवश्यकता है। इस हेतु डाइट्स को कुछ संकुलों को गोद लेकर उनके बैठकों के आयोजन की प्रक्रिया में सुधार कर सतत समीक्षा करनी होगी और एक बेहतर मॉडल के साथ सामने आना होगा। इस हेतु आपके अपने डाइट में अकादमिक सदस्यों के साथ चर्चा कर ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से कुछ संकुलों में अलग अलग मॉडल संचालित करने होंगे।

6.1 जिले में इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जिला परियोजना कार्यालय के साथ मिलकर कुछ संकुलों का चयन करेंगे।

6.2 इन चयनित संकुलों के समन्वयकों के साथ बैठकर गत छः माहों में संकुल स्तर पर आयोजित किए गए मासिक प्रशिक्षण सह समीक्षा बैठकों का कार्यवाही विवरण देखें और शिक्षकों से गत छः माहों में हुए प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

6.3 इस प्रकार प्राप्त जानकारी के आधार पर एक आधार पत्र बनाएँ और अलग अलग संकुलों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु संबंधित संकुल समन्वयकों और जिला परियोजना कार्यालय के साथ मिलकर अलग अलग मॉडल तैयार करें।

6.4 आगामी दो-तीन माहों के लिए विभिन्न मुद्दों पर डाइट की ओर से शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री तैयार कर संबंधित समन्वयकों को उन्मुखीकृत करें।

6.5 प्रशिक्षण उपरांत शालाओं में प्रशिक्षण उपरांत जो बातें होते हुई दिखाई देनी चाहिए, उन मुद्दों को शाला में होते हुए देखने एवं आवश्यक अकादमिक सहयोग करने हेतु समन्वयकों को प्रोत्साहित करें। (Return on Training Investment)

6.6 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए संकुल स्तरीय मासिक बैठकों के अलग अलग तिथियाँ अथवा दिन निर्धारित करें और संकुल के सभी शिक्षकों की उपस्थिति बिना शाला बंद किए आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें ।

6.7 संकुल की बैठकों हेतु समय सारिणी निर्धारित करते हुए सभी शिक्षकों का समय पर आना और गुणवत्ता सुधार हेतु चर्चा एवं कार्यवाही किए जाने पर जोर देवें।

6.8 सूचना संकलन एवं जानकारियों के आदान-प्रदान की व्यवस्था को कम से कम करते हुए व्यवस्थित करवाने का प्रयास करें।

6.9 पूरे परियोजना के दौरान हुए अनुभव की विस्तृत रिपोर्ट एवं इन अनुभवों के आधार पर अपने जिले में संकुल स्तरीय मासिक बैठकों के आयोजन हेतु बेहतर दिशानिर्देश जिला परियोजना कार्यालय के माध्यम से जारी करवाएँ।

कार्यक्रम से अपेक्षाएँ: इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले में संकुल स्तरीय बैठकों को प्रभावी बनाने हेतु नवीन मॉडल सामने लाए जाएंगे। इस आधार पर संकुल स्तरीय बैठकोंके स्वरूप में परिवर्तन हेतु आवश्यक दिशानिर्देश प्रसारित किए जाएंगे।

बजट: इस कार्यक्रम हेतु कुल रुपए 10,000/- का प्रावधान किया जाता है। इस राशि से संकुल स्तरीय बैठकों की समीक्षा, कार्यक्रम प्रभारी के मानदेय, संकुल समन्वयकों के प्रशिक्षण हेतु तैयारी एवं संदर्शिका, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संकुल बैठकों में स्त्रोत व्यक्तियों के दौरों के अलावा पूरे कार्यक्रम की रिपोर्ट लिखने हेतु बजट प्रावधान करें।

भावी कार्यक्रम: डाइट मे माध्यम से जिले के संकुल स्तरीय बैठकों में सुधार लाने हेतु विभिन्न मॉडल का क्षेत्र परीक्षण कर बेहतर मॉडल्स को जिले में अपनाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। प्रशिक्षण के बाद फॉलो अप और कक्षा में उपयोग को सुनिश्चित करने समन्वयकों को शाला भ्रमण एवं अकादमिक समर्थन देने हेतु माहौल बनाया जाएगा।

मॉनिटरिंग़ इंडिकेटर्स: संकुल स्तरीय वर्तमान बैठकों के संबंध में एक रिपोर्ट, प्रस्तावित मॉडल्स हेतु आधार पत्र, बैठकों के आयोजन हेतु दिशानिर्देश एवं उनके परिपालन हेतु की गई विभिन्न कार्यवाहियों की रिपोर्ट के अलावा जिले में इन बैठकों के स्वरूप में लाए गए परिवर्तन एवं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा।

7. **शहरी बस्तियों के समीप की शालाओं में सेनिटेशन आधारित प्रशिक्षण:**
शालेय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की जानकारी लेने एवं प्रशिक्षित किए जाने हेतु राज्य में बाह्य एजेंसी के माध्यम से एक अध्ययन करवाया गया था। राज्य में सभी जिलों में बाह्य एजेंसी के माध्यम से 2-3 वर्ष पूर्व सेनिटेशन पर आधारित प्रशिक्षण चंपारण में आयोजित किया गया था। इन प्रशिक्षित स्त्रोत व्यक्तियों के माध्यम से जिले में शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। इनमें से कुछ कुशल स्त्रोत व्यक्तियों की पहचान कर उनके माध्यम से शहरी झुग्गी-झोपडियों के समीप स्थित शालाओं में बच्चों को शालेय स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी दो दिवसीय प्रशिक्षण शिक्षकों, बच्चों एवं समुदाय को दिए जाने की व्यवस्था की जाए।

7.1 जिला परियोजना कार्यालय में ए.पी.सी. प्रशिक्षण से चर्चा कर सेनिटेशन आधारित स्त्रोत व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर उनमें से शहरी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने कुशल स्त्रोत व्यक्तियों की पहचान करें।

7.2 शहरी क्षेत्रों में स्लम एरिया के आसपास स्थित शालाओं की पहचान कर उनमें विशेष प्रशिक्षंण की व्यवस्था हेतु योजना तैयार करें।

7.3 इन शालाओं में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं समुदाय में इनसे संबंधित मुद्दों पर आवश्यकताओं के अध्ययन हेतु फोकस ग्रुप चर्चा, प्रत्यक्ष अवलोकन, मैपिंग गतिविधियाँ करवाएँ। इस कार्य में डाइट के कार्यक्रम प्रभारी एवं चयनित स्त्रोत व्यक्ति भागीदारी लेते हुए स्लम एरिया एवं शालाओं का कम से कम 2 दिनों तक सघन दौरा करें।

7.4 स्त्रोत व्यक्तियों के साथ मिलकर बच्चों, शिक्षकों एवं समुदाय आदि के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण पैकेज तैयार करें।

7.5 प्रशिक्षण के दौरान यदि आवश्यक हो तो जन-सहयोग एवं शाला में उपलब्ध राशि से सोक-पिट तैयार करवाएँ।

7.6 शाला के लिए साबुन, बाल्टी एवं अन्य आवश्यक सामग्री का क्रय भी प्रशिक्षण के दौरान करवाएँ।

7.7 शाला में शौचालय एवं समुदाय के लिए अन्य सुविधाओं हेतु आवश्यक मांग एवं पत्र-व्यवहार करने में सहयोग देते हुए विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी देवें।

7.8 गंदगी से फैलने वाले बीमारियों, उनसे बचाव के उपाय, स्वच्छ पेयजल, पानी को साफ रखने के तरीकों, सही तरीके से हाथ धोने, खुले में शौच के नुकसान जैसे विभिन्न मुद्दों पर जानकारी तैयार कर शेयर करें।

7.9 पूरे परियोजना के दौरान हुए अनुभव की विस्तृत रिपोर्ट एवं इन अनुभवों के आधार पर अपने जिले में अधिक से अधिक संख्या में शालाओं में इस प्रकार के प्रशिक्षण दिलवाए जाने हेतु आवश्यकताओं का आँकलन कर आवश्यक कार्यवाही करें।

कार्यक्रम से अपेक्षाएँ: इस कार्यक्रम के माध्यम से शहरी क्षेत्रों की कम से कम 5 बस्तियों एवं शालाओं, शिक्षकों, बच्चों एवं समुदाय में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी विभिन्न अच्छी आदतों की जानकारी देते हुए उनका पालन करवाए जाने की व्यवस्था करें।

बजट: इस कार्यक्रम हेतु कुल रुपए 5,000/- का प्रावधान किया जाता है। इस मद से स्त्रोत शिक्षकों का मानदेय, शहरी झुग्गी –झोपडियों के भ्रमण, आवश्यकताओं के आँकलन, स्त्रोत व्यक्तियों का यात्रा भत्ता, नवीन सामग्री निर्माण एवं रिपोर्ट लेखन पर व्यय किया जाए।

भावी कार्यक्रम: डाइट को प्राप्त इस अनुभव के आधार पर शालाओं में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी स्थिति की जानकारी लेकर भावी कार्यक्रमों के लिए योजना तैयार करें।

मॉनिटरिंग़ इंडिकेटर्स: पूर्व में प्रशिक्षित कुशल स्त्रोत व्यक्ति, स्लम एरिया में आवश्यकताओं के आंकलन की रिपोर्ट, प्रशिक्षण सामग्री निर्माण, शालाओं में विभिन्न आवश्यक सामग्री की उपलब्धता, सोक पिट निर्माण, पूरे कार्यक्रम की रिपोर्ट के आधार पर भावी कार्यक्रम।

8. **शालाओं में कला शिक्षण की व्यवस्था:**

शिक्षा के अधिकार कानून में बच्चों को कला शिक्षण की व्यवस्था करवाए जाने के निर्देश हैं। हमारे गाँवों में अलग अलग विधाओं में लोक-कलाकार मौजूद हैं जिन्हें हम शालाओं से सीधे सीधे जोडते हुए स्थानीय कलाओं को प्रोत्साहित करने के साथ साथ बच्चों को अपनी संस्कृति के समीप ला सकते हैं।

8.1 जिले में कुछ कुशल लोक कलाकारों का चयन करें जो अपने आसपास शालाओं में बच्चों को अपनी लोक कला का प्रदर्शन एवं सिखाने का काम कर सकते हैं।

8.2 इन लोक कलाकारों के साथ चर्चा कर उनके व्दारा बच्चों को सिखाने हेतु कुल आवश्यक कार्यदिवस, सामग्री एवं मानदेय आदि का निर्धारण करें।

8.3 शाला में बच्चों, शिक्षकों एवं समुदाय के साथ चर्चा कर पूरे कार्यक्रम हेतु समय एवं अन्य मुद्दों पर व्यवस्थाएँ निर्धारित करें।

8.4 बच्चों के स्तर अनुरूप कला के क्षेत्र जैसे लोक गीत, नृत्य, प्रहसन, स्थानीय वाद्य यंत्र बजाना, चित्रकारी, मूर्ति, बाँस के कार्य, कपडों पर कार्य एवं अन्य विभिन्न कौशलों की प्रारंभिक समझ के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के आधार पर क्षेत्र निर्धारित किए जा सकते हैं ।

8.5 छात्रावासों में ऐसे कौशलों के विकास को प्राथमिकता दी जा सकती है ताकि उनको उपलब्ध खाली समय का रचनात्मक उपयोग किया जा सके।

8.6 पूरे कार्यक्रम का दस्तावेजीकरण किया जाए जिसमे बच्चे, समुदाय एवं कलाकारों के विचार एवं सुझाव भी लिए जाएँ।

8.7 आवश्यकता पडने पर शाला में उपलब्ध अनुदान का उपयोग किया जाए। जैसे यदि आप शाला में एक विशेष बैण्ड की स्थापना करने जा रहे हैं और इस हेतु आपको स्थानीय तौर पर कुछ वाद्य यंत्रों की आवश्यकता है तो उसे शाला की ओर से उपलब्ध करवाया जाए।

कार्यक्रम से अपेक्षाएँ: इस कार्यक्रम के माध्यम से कम से कम 10 शालाओं/ छात्रावासों में कला शिक्षण हेतु सघन प्रशिक्षण देते हुए बच्चों को उन पर अभ्यास के लिए आवश्यक सुविधाएँ दी जाएंगी।

बजट: इस कार्यक्रम हेतु कुल रुपए 10,000/- का प्रावधान किया जाता है। इस राशि से कुशल कलाकारों का मानदेय, आवश्यक सामग्री की व्यवस्था, भ्रमण, रिपोर्ट लेखन आदि पर व्यय किया जाए।

भावी कार्यक्रम: डाइट को प्राप्त इस अनुभव के आधार पर जिले की अन्य शालाओं में कला शिक्षण के लिए आवश्यक सुझाव एवं व्यवस्थाएँ की जाए। एजुसेट के माध्यम से इन अनुभवों को शेयर किया जाए।

मॉनिटरिंग़ इंडिकेटर्स: कला के विभिन्न क्षेत्र एवं कलाकारों का चयन, शालाओं में शिक्षण के कुल कार्यदिवस, बच्चों में विकसित विभिन्न कौशल, कार्यक्रम के स्थायित्व एवं सतत विकास हेतु किए गए विभिन्न प्रयास आदि।